न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः—09/2018 (2018/00009)223/ब्यावर

1. बाबूलाल भाटी पुत्र गुलाबचंद भाटी
2. श्रीमती सूरज बेवा सत्यनारायण भाटी
3. अनिल भाटी पुत्र सत्यनारायण भाटी
4. संजय भाटी पुत्र सत्यनारायण भाटी
5. श्रीमती सुनीता भाटी पुत्री सत्यनारायण भाटी
6. श्रीमती रेणु भाटी पुत्री सत्यनारायण भाटी समस्त जाति माली निवासी पुराना मसूदा रोड, आजाद नगर ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. नगर परिषद ब्यावर जरिये आयुक्त महोदय, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 20.12.2017, राजस्व वाद संख्या 107/2012 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर।

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवडा एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः—11.02.2019

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधीकारी ब्यावर के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 20.12.2017, राजस्व वाद संख्या 107/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट विद्वान उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा नया नगर मे वर्णित काश्त भूमियां खसरा संख्या 702 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 703 रकबा 1 बीघा, खसरा संख्या 705 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वान्सी स्थित है। जो कि वादग्रस्त आराजीयात है। उक्त आराजीयात के अतिरिक्त अन्य भूमिया खसरा संख्या 706 लगायत 713 व 2176/710 की भूमियां रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 14—10—1965 को वादीगण के क्रमश माता, सास व दादी श्रीमती बीदामी पत्नि गुलाबचंद एंव श्रीमती हुलासी बेवा सुवालाल माली ने खरीद की। किन्तु स्व. बीदामी व स्व. हुलासी के बीच आपसी विभाजन मे खसरा संख्या 702, 703, 707, 712, व 713 स्व. बीदामी के हिस्से मे एवं खसरा संख्या 705, 708, 706, 711, 2176/710 हुलासी के हिस्से मे आया। श्रीमती हुलासी द्वारा अपने हिस्से मे आई भूमि का विक्रय भी श्रीमती बीदामी के हक मे कराया गया। इस प्रकार खसरा संख्या 702, 703, 705 के खातेदार बीदामी हुई जो अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त रही। किन्तु राजस्व रिकार्ड मे गलत तौर पर बीदामी का आधा हिस्सा व हुलासी का आधा हिस्सा दर्ज रहा है। जिसके संदर्भ मे राजस्व मुकदमा संख्या 35/1998 बीदामी बनाम हुलासी वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, व 53 विचाराधीन है। खसरा संख्या 702, 703, 705,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वादीगण/अपीलांटस का कब्जा चला आ रहा है। जिससे प्रतिवादी नगर परिषद ब्यावर का कोई संबंध नही है। उस आराजीयात के किसी भी भाग में से होकर नाला अथवा सड़क निर्माण करने का कोई अधिकार नही है। खसरा संख्या 702, 703 मे स्थित वादीगण के निजी रास्ते की भूमि एंव अन्य खसरा संख्या के रकबे मे जबरन कानून हाथ मे लेकर बिना लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही किय एवं बिना मुआवजा दिए, जबरन सडक व गन्दा नाला निकालने के लिए आमादा है। उक्त आधारो पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया कि उनके अधिकारी/कर्मचारी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 702, 703 व 705 के किसी भी भाग से होकर कोई नाला व सडक निर्माण कार्य नही करे एवं ना ही किसी से कराये जाने का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय ने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया। किन्तु कोई जवाबदावा पेश किया एंव विचाराधीन वाद एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 201 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम मे नगर परिषद ब्यावर को जनहित के कार्य के लिए नालियां आदि बनाने के लिए शक्तिया प्रदान की गई है। जनहितार्थ कराए जा रहे नाला निर्माण कार्य मे किसी तरह का अवरोध एवं बाधा उत्पन्न नही करे एवं शांतिपूर्वक नाला निर्माण करने देवे। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 201 नगर पालिका अधिनियम मे वर्णित कथनो को इन्कार करते हुऐ वादीगण/अपीलांटस द्वारा विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि नगर परषिद ब्यावर को वादीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात मे से जबरन नाला निकालने का कोई विधिपूर्ण अधिकार नही है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 201 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पर पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त अपने निर्णय दिनांक 20–12–2017 के द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुऐ वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को ही खारिज कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस माननीय न्यायालय आप मे अपील प्रस्तुत कर रहे है जो आपके श्रवणधिकार की है।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए, तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

04. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस अपील में निवेदन किया कि वादीगण/अपीलांटस प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होकर कब्जे काश्त हैं। जिस पर नगर पालिका अधिनियम के तहत् कोर्ट कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं एवं ना ही नगर पालिका अधिनियम कृषि भूमियों पर लागू होता हैं। जहॉ तक प्रश्नगत भूमि के नजदीक में निर्मित कॉलोलियों का प्रश्न हैं तो उक्त कॉलोनियों का ले–आउट प्लान भी स्वीकृत नही हैं। ऐसी स्थिति में उक्त कॉलोनी की सुविधा हेतु अपीलांटस की खातेदारी भूमि का उपयोग नही किया जा सकता हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त स्थिति को पूर्णतया दरकिनार करते हुए धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों एवं सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद निस्तरण हेतु वर्णित प्रक्रिया को पूर्णतया ही दरकिनार करते हुए सरसरी तौर पर वाद खारिज करने का जो आदेश पारित किया हैं विधि सम्मत नही है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 201 के तहत् किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई अनावश्यक नुकसान नहीं पहुॅचाया जायेगा और ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसी शक्ति के प्रयोग से नुकसान होता हो तो नगर पालिका द्वारा प्रतिकर संदत किया जायेगा, जो विवाद की दशा में धारा 295 में उपबंधित रीति से अभिनिश्चित व अवधारित किया जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 201(3) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पक्षकारान की बह सुनने के उपरान्त अपने निर्णय दिनांक 20.12.2017 के द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को ही खारिज कर दिया। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय दिनांक 20.12.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावें कि पक्षकारों को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 702, 703, 705 वाकै ग्राम नयानगर तहसील ब्यावर को वादग्रस्त बतलाते हुए उपरोक्त भूमि के किसी भी भाग से होकर नाला व सड़क का निर्माण नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट नगर पालिका, ब्यावर द्वारा करवाये जा रहे जनहित कार्यो में नाजायज अवरोध उत्पन्न करने तथा नगर परिषद, ब्यावर को नुकसान पहुँचाने की नियत से उक्त वाद गलत एवं झूठा प्रस्तुत किया गया हैं जबकि उक्त नाला निर्माण करवाये जाने से वादीगण के हितो या अधिकारों पर अथवा उनकी भूमियों पर किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की कोई संभावना ही नही हैं। न्याालय हाजा से अनुरोध हैं कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज से प्रतीत है कि नगर परिषद,ब्यावर द्वारा जनहित की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा स्वीकृत कॉलोनियों के गन्दे पानी की निकासी हेतु सार्वजनिक नाला/नाली निर्माण करवाया जाना है। धारा 201 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में नगर परिषद, ब्यावर को जनहित के कार्य के लिए नालियॉ आदि बनाने की शक्तियॉ प्रदान की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,ब्यावर ने वादीगण/अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष नगर पालिका के प्रावधानों के तहत् नहीं होने से वाद पत्र को खारिज किया हैं जिसमें किसी प्रकार त्रुटि कारित नहीं की हैं। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पायी जाती हैं।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2017, राजस्व वाद संख्या 107/2012 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

11/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
नागौर

08. आदेश आज दिनाक 11.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/2/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
नागौर

Judil/Civil
Part IV- 4

डिगरी सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"- 9)

अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाश :– **श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर.ए.एस.**

बाबूलाल भाटी पुत्र गुलाब चन्द जाति माली निवासी पुराना मसूदा रोड़, आजाद नगर, ब्यावर जिला अजमेर व अन्य ।

बनाम

नगर परिषद, ब्यावर जरिये आयुक्त, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपील संख्याः–09 सन् 2018 (2018/00009) ब नाराजगी डिगरी अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर, मुबर्खे 20 माह 12 सन् 2017.

दावा बाबत्: धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 .

यह अपील ब तारीख 11 माह 02 सन् 2019 रूबरू **राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर** ब हाजिरी श्री ईश्वर देवड़ा एड़वोकेट मिनजानिब अपीलांट, श्री सुरेन्द्र सेठी एड़वोकेट, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ है कि :–अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2017, राजस्व वाद संख्या 107/2012 यथावत् रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक.....–.....)रूपये..–..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें।

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 11 माह 02 सन् 2019. को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर।

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा		–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2. स्टाम्प अर्जी		–
3. इजराय हुक्नामा	–		3. इजराय हक्नामा		–
4. वकील फीस बाबत्	–		4.मेहनताना वकील		–
मीजान	–		मीजान		–

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहियें।